सामान्य बीमा परिषद और अन्य

बनाम

आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य

9 जुलाई, 2007

(डॉ0 अरिजित पसायत और पी.पी.नावलेकर जेजे.)

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 धारा 158(6)- प्रावधान की अनुपालना- अभिनिर्धारित- यदि आरंभ से किसी प्रावधान की पालना अनिवार्य है तो इसका पालन किया जाना चाहिए । -राज्य सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों को संबंधित पुलिस अधिकारियों को प्रावधान की आवश्यकता के अनुसार पालन करने का निर्देश दिए जाने का निर्देश दिया गया -निर्देश की पालना न करने पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने का निर्देश -केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 -नियम 150 और फॉर्म 54

शब्द और वाक्यांश- "जैसे ही" अभिव्यक्ति का अर्थ- मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 158(6) के संदर्भ में ।

इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका इस आशय की दायर की गई थी कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश

जारी किया जाए कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 158(6) के प्रावधान का बिना किसी अपवाद के पालन किया जाए ।

न्यायालय द्वारा रिट याचिका का निस्तारण करते हुए अभिनिर्धारित-

1. जैसे ही मृत्यु या शारीरिक चोट से जुड़ी किसी दुर्घटना में कोई रिपोर्ट दर्ज़ की जाती है या धारा 158 के तहत रिपोर्ट पूरी की जाती है तो धारा 158(6) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में उपयोग की गई भाषा पुलिस अधिकारी को अधिकार क्षेत्र वाले दावा अधिकरण और संबंधित बीमा कंपनी को जितनी जल्दी हो रिपोर्ट की एक प्रति अग्रेषित करने का निर्देश देती है । किसी कार्य को यथाशीघ्र करने का अर्थ उस कार्य को समझदारी के साथ उचित समय, के भीतर, कम से कम समय के भीतर करने से है ।"
और तब" और "जैसे ही" लगभग समान हैं । जब भी इन अभिव्यक्तियों का उपयोग समय और स्थान के संबंध में किया जाता है, तो समसामयिक धारणा को प्रदर्शित करते हैं । "जैसे ही" और "तत्काल" दोनों को उचित समय के रूप में समझा जाना चाहिए लेकिन बाद वाला अधिक प्रभावी है लेकिन तात्कालिकता दोनों अभिव्यक्तियों की पहचान है। "अभिव्यक्ति जितनी जल्दी हो सके" का अर्थ "जितनी जल्दी सम्भव हो सके" तक बढ़ाया जा सकता है । इसे "तत्परता" से अग्रसारित किया जाना चाहिए ।

पैरा 7 और 8 (196-जी, 197-ए,बी)

किंग ओल्ड कंट्री लिमिटेड बनाम लिक्विड कार्बनिक कैन. कॉरपोरेशन लिमिटेड (1942) **2 डब्ल्यू डब्ल्यू आर 603, संदर्भित ।**

2. यदि धारा 158(6) के संदर्भ में कार्यवाही की जाती है, तो इससे झूठे दावे दायर करना असंभव होगा और दावा न्यायाधिकरण का काम आसान हो जाएगा । पैरा 6 (196-ए)

3. चूंकि धारा 158(6) में दिए गए तरीके से कार्य करना अनिवार्य है इसलिए इस बात का कोई उचित कारण नहीं है कि आवश्यकता का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है । इसलिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया जाता है, यदि पहले से नहीं किया गया है, तो सभी पुलिस अधिकारी नियम 150 में बनाई गई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए धारा 158(6) की आवश्यकता का अनुपालन करने की आवश्यकता का निर्देश देंगे और फॉर्म नंबर 54 में यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवश्यकताओं का अनुपालन किया जा रहा है, संबंधित पुलिस महानिरीक्षक द्वारा समय-समय पर जांच की जाएगी । अनुपालना न होने की स्थिति में दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी। परिवहन और राजमार्ग विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर सत्यापन करेगा कि कार्यवाही की जा रही है और किसी भी विचलन के मामले में तुरंत इसे संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेशों के ध्यान में

लाया जावेगा ताकि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जा सके । पैरा 9 और 10 (1997-सी,डी,ई)

सिविल मूल क्षेत्राधिकार रिट याचिका (सी) संख्या 282/2007

याचिकाकर्ताओं की ओर से- जी.ई. वाहनवती, एसजी. विष्णु महरा, साक्षी मित्तल और प्रमोद दयाल ।

गैर याचिकाकर्ताओं की ओर से- सत्यामित्र गर्ग, वी.जी. प्रगासम, मनजीत सिंह, टी.वी. जॉर्ज, हरिकेश सिंह, बिंदु सक्सेना, शैलेंद्र स्वरूप, एस.वसीम, ए.कादरी, डी.एस.मेहरा, एमपीएस तोमर, डी.पी. विनय कुमार और डी.भारती रेड्डी

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा सुनाया गया-

डॉ0 अरिजित पसायत. जे.

1. इस रिट याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 158(6) के निर्देश का बिना किसी अपवाद के पालन किया जावे । अधिनियम की धारा 158(6) में यह कहा गया है कि संबंधित पुलिस अधिकारी का यह वैधानिक दायित्व है कि पुलिस स्टेशन में दर्ज़ किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या

शारीरिक क्षति के बारे में सूचना दावा न्यायाधिकरण के पास भेजे । आगे आदेश में यह प्रावधान है कि संबंधित बीमाकर्ता और उल्लंघन करने वाले वाहन मालिक को उसकी प्रति भिजवाई जाए । वाहन स्वामी दावा अधिकरण और बीमाकर्ता को रिपोर्ट अग्रेषित करने के लिए बाध्य है । भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.06.2006 द्वारा प्रावधान की आवश्यकताओं के स्पष्ट गैर-अनुपालन के बारे में भारत संघ ने अपनी चिंता व्यक्त की है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एवं राजमार्ग विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन सचिवों और आयुक्तों, आई.जी. (यातायात) पुलिस और सभी केंद्र शासित प्रदेशों को वैधानिक आवश्यकताओं के गैर-अनुपालन पर प्रकाश डालते हुए परिपत्र जारी किया है। धारा 158(6) की आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

2. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि इसका पालन वैधानिक आवश्यकता है और वास्तविक कार्यान्वयन बहुत निराशाजनक है ।

3. अधिनियम की धारा 158(6) इस प्रकार है-

> "जैसे ही किसी ऐसी दुर्घटना की बाबत जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति अन्तर्ग्रस्त है, कोई इत्तिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाती है या कोई रिपोर्ट इस धारा के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा पूरी की

जाती है, वैसे ही पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उसकी एक प्रति, यथास्थिति इत्तिला अभिलिखित करने की तारीख से तीन दिन के भीतर या ऐसी रिपोर्ट पूरी होने पर, अधिकारिता, रखने वाले दावा अधिकरण को और उसकी एक प्रति संबंधित बीमाकर्ता को भेजेगा और जहां एक प्रति स्वामी को उपलब्ध कराई जाती है, वहां वह ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर उसे दावा अधिकरण और बीमाकर्ता को भेजेगा।"

4. केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 का नियम 150 (संक्षेप में नियम) इस मामले से संबंधित है ।

5. नियमों का फार्म 54 वह प्रारूप प्रदान करता है जिसमें जानकारी दी जानी है । नियम और प्रपत्र इस प्रकार हैं-

150. *दावा न्यायाधिकरण की रिपोर्ट की प्रतियां प्रस्तुत करना-*

(1) धारा 158 की उप धारा (6) में निर्दिष्ट पुलिस रिपोर्ट फॉर्म नंबर 54 में होगी

(2) एक पंजीकरण अधिकारी या पुलिस अधिकारी को धारा 160 के तहत मुआवजा अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से सात दिनों के भीतर और ₹10 के भुगतान शुल्क पर फॉर्म नंबर 54 में दावा करने के पात्र व्यक्ति की आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करनी होगी ।

फॉर्म नंबर-54

नियम 150(1) और (2)

1. पुलिस स्टेशन का नाम ....

2. सी आर संख्या/यातायात दुर्घटना रिपोर्ट ....

3. तारीख ....

4. घायल/मृतक का नाम और पूरा पता ....

5. उस अस्पताल का नाम जहां से उसे हटाया गया था ....

6. वाहन का पंजीकरण संख्या और वाहन का प्रकार ....

7. ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण :

(ए) ड्राइवर का नाम और पता ....

(बी) ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और समाप्ति की तारीख ....

(सी) जारी करने वाले प्राधिकारी का पता ....

(डी) सार्वजनिक सेवा वाहन के मामले में बैच नं. ....

8. दुर्घटना के समय वाहन के मालिक का नाम और पता ....

9. उस बीमा कंपनी का नाम और पता जिसमें वाहन का बीमा कराया गया था और उसके सम्भागीय अधिकारी का विवरण ....

10. बीमा पॉलिसी की संख्या/बीमा प्रमाण-पत्र और बीमा पॉलिसी की वैधता की तारीख ....

11. वाहन का पंजीकरण विवरण (वाहन की श्रेणी)

(ए) पंजीकरण संख्या ....

(बी) इंजन नंबर ....

(सी) चेचिस नंबर ....

12. नियमित परमिट विवरण ....

13. यदि कोई कार्यवाही की गई हो तो उसका परिणाम

....

याचिकाकर्ता की ओर से सॉलिसिटर जर्नल श्री जी.एन. वाहनवती की इस दलील में बल है कि यदि धारा 158(6) के संदर्भ में कार्यवाही की जाती है तो इसमें ग़लत दावा करने से इनकार किया जा सकेगा और दावा न्यायाधिकरण का काम आसान हो जाएगा । विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि पर्याप्त चोटों का आरोप लगाने वाले बड़ी संख्या में मामले दुर्घटनाओं के लम्बे समय के बाद दायर किया जा रहे हैं और इससे दावा याचिकाओं की संख्या बढ़ रही है । यदि धारा 158(6) के संदर्भ में

कार्यवाही की जाती है, तो इससे झूठे दावों को दाखिल करने में काफी कमी आएगी । रिट याचिका में इसको इस प्रकार उजागर किया गया है ।

“26. कुछ प्रमुख तथ्य जो कि विस्तृत अध्ययन से सामने आए हैं को वर्तमान रिट के वृहद् रूप से प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक होने से गौर किये जा सकते हैं:

26.1 आज की तारीख में विभिन्न मामलों में लगभग 15 लाख मामले विभिन्न न्यायाधिकरण/उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं।

26.2 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत प्रतिवर्ष लगभग चार लाख चोट/मृत्यु से जुड़े मामले दर्ज किए जाते हैं ।

26.3 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत दावे दुर्घटना की तारीख से लगभग सात माह के बाद दर्ज किए जाते हैं ।

26.4 दावे की रिपोर्ट करने में देरी अतिशियोक्ति और धोखाधड़ी को बढ़ावा देती है ।

26.5 दावे की रिपोर्ट में देरी जांच और तथ्य के सत्यापन को अत्यधिक कठिन बनाती है ।

26.6 मामलों के न्याय निर्णय में लगभग तीन से पांच वर्ष का समय ।

26.7 दावों के निर्णय में देरी से याचिकाकर्ता बीमा कंपनियों को अधिक क्लेम होने से नुकसान होता है ।

26.8 धारा 158(6) के सख्त कार्यान्वयन से बीमा कंपनियों को शीघ्र रिपोर्टिंग सुनिश्चित होगी जो दावों का शीघ्र और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करेंगी।"

7. धारा 158 की उप धारा (6) में इस्तेमाल की गई भाषा पुलिस अधिकारी को मृत्यु या शारीरिक चोट से जुड़ी किसी दुर्घटना के बारे में या धारा 158 के तहत तैयार की गई रिपोर्ट की एक प्रति अधिकार क्षेत्र वाले दावा न्यायाधिकरण और संबंधित बीमा कंपनी को ''जितनी जल्दी हो सके'' अग्रेषित करने का निर्देश देती है ।

8. जैसे ही अभिव्यक्ति का प्रयोग यह दर्शाता है कि कार्य में तत्परता होनी चाहिए । किसी कार्य को ''यथाशीघ्र'' करने का अर्थ उसे उचित समय के भीतर करना, कम से कम समय के भीतर समझ के साथ करने से है । (परग्रसंत, जे. *किंग्स ओल्ड काउंटी लिमि. बनाम लिक्विड कार्बोनिक केन. कार्पोरेशन लिमिटेड* (1942) 2 डब्ल्यू डब्ल्यू आर 603) ''जब और तब'' और ''जैसे ही'' लगभग समान हैं । जब भी इन अभिव्यक्तियों का उपयोग समय व स्थान के सम्बन्ध में किया जाता है, तो वे समसामयिक धारणा

को दर्शाते हैं । ''जैसे ही'' और ''तत्काल'' दोनों को आमतौर पर उचित समय की अनुमति के रूप में समझा जाना चाहिए । लेकिन बाद वाला पूर्व की तुलना में अधिक प्रभावी है । लेकिन तात्कालिकता दोनों ही अभिव्यक्तियों की पहचान है । अभिव्यक्तियों को ''जितनी जल्दी हो सके'' से ''जितनी जल्दी सम्भव हो'' तक बढ़ाया जा सकता है । इसे तत्परता के साथ आगे बढ़ाना होगा ।

9. चूंकि धारा 158(6) में दिये गये तरीके से कार्य करना अनिवार्य है इसलिए इस बात का कोई उचित कारण नहीं है कि आवश्यकता का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है ।

10. इसलिए, यह निर्देशित किया जाता है कि सभी राज्य सरकारें और संघ यदि पहले से नहीं किया गया है, तो क्षेत्र से सम्बंधित पुलिस अधिकारियों को नियम 150 और फार्म 54 में इंगित आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए धारा 158(6) की आवश्यकता का अनुपालन करने की आवश्यकता के बारे में निर्देश देंगे । समय-समय पर पुलिस महानिरीक्षक द्वारा जांच की जाएगी । सम्बंधित पुलिस महानिरीक्षक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आवश्यकताओं का अनुपालन किया जा रहा है । अनुपालना न होने की स्थिति में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी । परिवहन और राजमार्ग विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर सत्यापन करेगा कि कार्यवाही की जा रही है और किसी

भी विचलन के मामले में तुरन्त इसे सम्बंधित राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेशों के ध्यान में लाया जायेगा ताकि सम्बंधित अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जा सके ।

11. तद्नुसार रिट याचिका निस्तारित की जाती है ।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अजय कुमार शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।